इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 591] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2011—पौष 9, शक 1933

### वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2011

क्र. एफ-ए-6-36-2011-1-पांच, (83).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) (वेट अधिनियम) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उन अधिकारियों को, जो अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-6-36-2011-1-पांच (53) दिनांक 16 जून, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) (विलासिता कर अधिनियम) के प्रशासन से संबंधित समस्त कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं, उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता में, विलासिता कर अधिनियम के अधीन कर के भुगतान हेतु दायी किसी होटल मालिक या किसी स्वामी के संबंध में, जो वेट अधिनियम के अधीन भी कर के भुगतान हेतु दायी हैं, वेट अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा अधिरोपित किए गए समस्त कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एन. के. जैन,** उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2011

क्र. एफ-ए-6-36-2011-1-पांच, (83).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-6-36-2011-1-पांच, (83), दिनांक 29 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एन. के. जैन,** उपसचिव.

Bhopal, the 29th December, 2011

No.F-A-6-36-2011-1-V-(83).—In exercise of the powers, conferred by sub-section (4) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), (the Vat Act), the State Government, hereby, authorizes the officers, who have been authorized to perform all the functions relating to administration of the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhiniyam, 2011 (No. 11 of 2011) (the Luxury Tax Act) *vide* Notification No. F-A-6-36-2011-1-V-(53) dated 16th June, 2011 to exercise all the powers and perform all the duties conferred or imposed by or under the Vat Act in respect of a hotelier or a proprietor liable to pay tax under the Luxury Tax Act, who is also liable to pay tax under the Vat Act, in their respective territorial jurisdiction.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
N. K. JAIN, Dy. Secy.



नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.